



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

१२०१४ निरानी R. २०३-॥१५

श्री महाकुमार अमरचंद्र, आज्ञा
द्वारा आज दि. ३-२-६४ को
प्रस्तुत

कलंक औरंगाबाद, ग्वालियर
राजस्व मण्डल निरानी प्राधीन

२५३३८३-२६७९५

वंश बहादुर सुभ सिंह पुत्र स्व० श्री गंगासिंह
चौहान, निवासी उच्च वरोदिया, तेल्हील-
गांपद वास जिला सीधी-मध्यप्रदेश।

----- प्राधीन

बिराच्छ

मध्यप्रदेश शासन

----- प्रतिप्राधीन

निरानी बिराच्छ बादेश ए स०डी०बी० महोदय मफोली जिला सीधी
दिनांकी ३०-५-१४ अन्तर्गत घारा ५०-मध्यप्रदेश मू-राजस्व संहिता, १९५६
प्र०क्र० ६ वा-६७१९३-१५।

श्रीमान् जी,

निरानी का आवेदन-पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

- १- यह कि, स०डी०बी० महोदय की बाजा कानून सही नहीं है।
- २- यह कि, स०डी०बी० महोदय ने प्रकरण के स्कूप एवं कानूनी
स्थिति को सही नहीं समझा है।
- ३- यह कि, प्राधीन अधीनस्थ न्यायालय में मू-विज्ञानी जो रीवा में
पदस्थ है, से स्थल जांच कराये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में जो
कारण व्यक्त किये हैं उन पर कोई कियार स०डी०बी० महोदय
घारा नहीं किया गया है, उन्होंने सरसरी तरीं पर आवेदन पत्र को
को निरस्त किया है जो न्यायोचित नहीं है।
- ४- यह कि, संयुक्त दल घारा जांच होने से, मू-विज्ञानी से जांच की
मांग को निरस्त किया जाना भी न्यायोचित नहीं है।
- ५- यह कि, प्राधीन घारा राजस्व निरीक्षक इन गतिवादी के गांव

(55)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुबत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक R/२००३/८/४

वर्षवार्षिक/म.प्र.शाला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
४/११९	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>राम. ठेणू</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी <u>माइकली</u> के प्रकरण क्रमांक ०६/३५-६७/१३-१४ में पारित आदेश दिनांक ३०/५/१९ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला <u>सीटी</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक २३/५/१९ को कलेक्टर जिला <u>सीटी</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"><u>सदस्य</u></p> 	